



# बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विधा विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ— 226025

**Babasaheb Bhimrao Ambedkar University**

(A Central University)

Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025



## राष्ट्रीय सेवा योजना

### राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र— 2019

1. छात्र का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. पिता का व्यवसाय..... वार्षिक आय.....
4. जाति (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु जनजाति/ अल्पसंख्यक/ पिछड़ा वर्ग).....
5. आधार न0..... ई—मेल .....
6. जन्मतिथि..... आयु..... रक्त समुह.....
7. विभाग..... स्कूल.....
8. स्थायी पता.....  
.....पिन कोड.....
- फोन न0 (1)..... (2).....
9. वर्तमान पता.....  
.....पिन कोड.....
10. एन.एस.एस./एन.सी.सी. में से किसी एक के सदस्य है (हॉ/नहीं)  
(यदि हॉ तो कब से).....

नवीनतम पासपोर्ट  
साइज का फोटो  
चस्पा करें

### 11. गतिविधियां जिनमें रुचि हो—

क्रमांक	रुचि की गतिविधियां	गतिविधि की जानकारी	भाग लिया है या नहीं	नेतृत्व/भागीदारी की इच्छा
1.	क्रीड़ा—खेलकुद(नाम दें)			
2.	अध्ययन—यात्रा			
3.	शिल्प कला			
4.	संगीत/गायन			
5.	नृत्य/नाटक			
6.	लेखन/वाद—विवाद/ कथा वर्णन			

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि समय—समय पर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक/स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

1. पंजीयन का दिनांक एवं नम्बर.....
2. अमान्य का कारण.....

हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी एवं सील

८१

संख्या—आवं.६४ / सत्तर—राठसे०यो०को०—१९—२१ / २०१७

प्रेषक,

अंशुमालि शर्मा,  
विशेष कार्याधिकारी एवं  
राज्य सम्पर्क अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कुलसंचिव,  
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,  
लखनऊ।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग      लखनऊ: दिनांक ०१ फरवरी, २०१९

विषय:—वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय सेवा योजना—नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या का अन्तिम आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम समन्वयक, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ पत्रांक—०४९ / NSS/BBAU/18, दिनांक ११–०९–२०१८ के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में प्राप्त प्रस्तावनुसार वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय सेवा योजना—नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या निम्नानुसार आवंटित की जा रही है:—

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2017–18 में आवंटित छात्र संख्या	वर्ष 2018–19 में आवंटित छात्र संख्या
१	२	३	४
१	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विद्या विहार रायबरेली रोड, लखनऊ	१००	३००
योग—		१००	३००

२— उपरोक्त तालिका के कालम-४ में उल्लिखित सामान्य कार्यक्रम की छात्र संख्या का ५० प्रतिशत विशेष शिविर आयोजन हेतु आवंटित छात्र संख्या मानी जायेगी। उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

३— उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इकाइयों का गठन कर पंजीकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे स्वयंसेवकों के पंजीकरण से संबंधित सूचना (यथा—नाम, मोबाईल नम्बर व/या ई० मेल) १५ दिन के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जा सके। साथ ही कार्यक्रम अधिकारियों के नाम/मोबाईल और ई०मेल भी आवश्यक रूप से सूचित करें।

4— विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

5— भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई-मेल के माध्यम से एन०एस०एस० प्रकोष्ठ उ०प्र० शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

6— इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ ( $7\times 2=14$  पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ  $\times 7$ ) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 05 पृष्ठ की फोटो सहित)। रिपोर्ट की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक को व साफ्ट कापी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दोनों को प्रेषित करें।

भवदीय,

(अंशुमालि शर्मा)

विशेष कार्याधिकारी एवं  
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

#### संख्या—64(1) / सत्तर—रा०से०यो०को०—२०१८ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा०से०यो०, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं० 1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच०, अलीगंज, लखनऊ।
3. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा०से०यो०, सेंट जान्स कालेज, आगरा।
4. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, इण्डियन लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, लखनऊ।
5. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा०से०यो०, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
6. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विभिन्न, उ०प्र०।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंशुमालि शर्मा)  
विशेष कार्याधिकारी एवं  
राज्य सम्पर्क अधिकारी।